तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
16/04/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा-212 R.T. Act दि. 14/05/26 को पेश हो। [signature] 16/4/26	
14/5/26	पत्रावली पेश हुई / वकील उभयपक्ष उपस्थित / पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/05/2026 को पेश हो / [signature] 14/5/26	
25/05/26	पत्रावली पेश हुई / वकील उभयपक्ष उपस्थित / बहस प्रा० पत्र 212 RT Act r.w.O. 39 R1&2 CPC के परिपेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया / प्रकरण को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओ पर जांचना आवश्यक है — (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- आर्थी० प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम पिडावा की वादग्रस्त भूमि ख० नं० 1711/39 व 1712/39 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन सं० 7387/2022 हाफिज रफीक जरिये LRs V/S हाफिज शरीफ मामले मे स्थगन आदेश जारी कर रखा है अतः इस प्रकरण को स्थगन अनुसार स्थिति बनाये रखी जावे / आर्थी० अप्रार्थीगण का कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय वाले [illegible] प्रकरण मे ग्राम पिडावा के ख० नं० 1711/39 व 1712/39 दोनो को लेकर वाद है जबकि	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	हस्तगत प्रकरण सं० 2017/4194 में उक्त दोनों ख०न० 1711/39 व 1712/40 के अतिरिक्त ख०न० 17, ख०न० 19 रकबा 1-03 बीघा व ख०न० 20 रकबा 0-10 बीघा पर भी अनुतोष चाहा गया है। ख०न० 17, 19 व 20 जमाबंदी संवत 2070-73 में प्रतिवादी क्रम 4 से 6 व फईमन बी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थे जिस पर प्रार्थीगण/वादीगण का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है। रिकार्डेड खातेदार कृषक होने से एवं प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार निहित नहीं होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष में है।
	बहस उभयपक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रकरण civil writ petition No- 7387/2022 उनवान हाफिज रफीक व अन्य बनाम हाफिज शरीफ व अन्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पिडावा के ख०न० 1711/39 व 1712/39 पर माननीय राज्य उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30/01/2026 तक यथास्थिति (Status-quo) बनाये रखने के आदेश दे रखे है।
	शेष दो अन्य वादग्रस्त भूमि ख०न० 17, 19 व 20 पर माननीय राज० High Court से कोई स्थगन नहीं है। किसी अन्य न्यायालय से स्थगन होने का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। जमाबंदी संवत 2070-73 में वादग्रस्त भूमि ख०न० 19 व 20 अप्रार्थी क्रम 4 से 6 एवं फईमन बी के खाते दर्ज थी जबकि वर्तमान जमाबंदी संवत 2074-77 में साबरा बानो, इकरार खां व राजेश्वरी मण्डलाई के खाते दर्ज है अर्थात प्रार्थीगण ना तो कभी इसके Recorded Khateder tenants रहे है और ना ही इनके पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य है। इसी प्रकार ख०न० 17 रकबा 13-07 बीघा के भी खातेदार अप्रार्थी क्रम 4 से 6 व फईमन बी के वारिसान है।

Scanned with OKEN Scanner

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही या मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	इन्द्राज भूमि ख0नं0 17, 19, 20 किता 03 कुल रकबा 15 बीघा कुमर : हाकिम करीमुल्ला ..., अमीरशाह व फईमन बी पिसरान पीरशाह हिस्सा 1/3-1/3 के खाते विरासत से दर्ज हुई थी। करीमुल्ला का हिस्सा 1/3 जर्ये रजि0 वसीयत दिनांक 24/6/1994 (नामा0 सं0 670 दि. 30/01/1995) से अप्रार्थी क्रम 6 इनाम पिता हाकिम रफीक के खाते दर्ज हुई तथा अमीरशाह का हिस्सा 1/3 जर्ये रजि0 वसीयत दिनांक 07/12/1994 (नामा0 सं0 787 दि. 17/07/1998) से अप्रार्थी 4 व 5 अनीस, नफीस पिता हाकिम शरीफ के खाते दर्ज हुई। उक्त रजि0 वसीयत दिनांक 07/12/1994 को किसी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा खारिज किये जाने का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया है। रजि0 वसीयत को खारिज करना इस राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ख0नं0 17, 19, 20 किता 3 की रजि0 वसीयत को किसी सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा खारिज नहीं करने एवं अप्रार्थी 4 से 6 व फईमन बी के LRs का Recorded khatedar tenants होने और ख0नं0 19 व 20 का बेचान होकर नये खातेदार शामिल होना व अन्य दर्ज होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। (ब) सुविधा का संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अमीरशाह द्वारा की गई रजि0 वसीयत दिनांक 07/12/1994 को सक्षम सिविल ने खारिज नहीं किया है। मुस्लिम विधि में किसी मुस्लिम की संपत्ति उसकी स्वयं-अर्जित सम्पत्ति मानी जाती है।	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज
	पैतृक संपत्ति की अवधारणा नहीं होने से वारिसान का खातेदार के जीवनकाल में जन्म से कोई हक निहित नहीं होता है। एक मुस्लिम, अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा वसीयत कर सकता है, यह सिविल कोर्ट तय करेगा। अतः रिकार्ड खातेदारान (अप्रार्थीगण) के विरुद्ध (बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के) स्थगन जारी करने से अप्रार्थीगण को अत्यधिक असुविधा होगी अर्थात सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।
	(स) अपूरणीय क्षति :- प्रार्थीगण को कोई भी ऐसी क्षति कारित होना साबित नहीं है जिसे मूल्य में नहीं आँका जा सके।
	3. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। माननीय राज० हाईकोर्ट के प्रकरण सं० 7387/2022 (S.W.P) की पालना में ग्राम पिडावा के ख०न० 1711/33 व 1712/33 की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जाते हैं। शेष भूमि पर कोई स्थगन नहीं होगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।
	(हस्ताक्षर) [illegible] उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)